राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः—आर0एम0पी0यू0 / सम्ब0 / 294 / 2026 दिनांकः— 20 मार्च, 2026

अनस्मारक—1

सूचना

एतत्द्वारा सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2026—27 के लिये नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में अतिरिक्त विषयों / पाठयक्रमों (बी०एड० पाठयक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति / सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या—I / 1227344 / 2026 / 70—2099 / 28 / 2025पार्ट—2 दिनांक 04 फरवरी, 2026 (प्रति संलग्न) द्वारा निरीक्षण मण्डल के गठन हेतु आवेदन करने की **अन्तिम तिथि 22 मार्च, 2026 निर्धारित** की गयी है।

तत्सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्र सं0 आर0एम0पी0यू0 / सम्ब0 / 317 / 2025 दिनांक 19.12. 2025 द्वारा अवगत कराया गया था कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे समस्त महाविद्यालय जिनमें संचालित पाठ्यक्रम अस्थायी प्रकृति के है, तथा सत्र 2025—26 में अस्थायी सम्बद्धता आदेश प्राप्त नहीं किये है। ऐसे समस्त पाठ्यक्रमों का मा0 कार्य परिषद द्वारा सत्र 2025—26 में इस शर्त के साथ विस्तारण का निर्णय लिया गया है कि ''महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क व रू0 25000 / — दण्ड शुल्क के अनुसार जमा कराया जायेगा। ऐसे समस्त अस्थायी पाठ्यक्रमों को सत्र 2026—27 हेतु सम्बद्धता विस्तारण अथवा स्थायी सम्बद्धता के लिये अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, अन्यथा कि स्थिति में सत्र 2026—27 हेतु प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।''

अतः मा0 कुलपति जी के निर्देशों के क्रम में मा0 कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय के अनुपालन में अनुरोध है कि ऐसे महाविद्यालय जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता सत्र 2025—26 में समाप्त हो रही है। उन्हें सत्र 2026—27 से प्रवेश हेतु अस्थायी / स्थायी सम्बद्धता हेतु अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में किसी भी दशा में सम्बद्धता विस्तारण अथवा स्थाई सम्बद्धता पर विचार नहीं किया जायेगा तथा सत्र 2026—27) से प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबन्धक स्वंय उत्तरदायी होगा।

(पवन कुमार)
उप कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रबन्धक / प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय।
2. कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. निजी सचिव मा० कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. प्रभारी वेबसाइट को इस निर्देश के साथ की उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. गार्ड फाइल।

उप कुलसचिव